

प्रेषक,

रेणुका कुमार,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

(जनपद बस्ती, आजमगढ़, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया, गोण्डा, मुरादाबाद, बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, चित्रकूट एवं लखनऊ को छोड़कर।)

राजस्व अनुभाग-11

लखनऊ : दिनांक : 31 मई, 2021

**विषय:-** जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में 01-01 आपदा विशेषज्ञ को संविदा के आधार पर रखे जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के मध्य हस्ताक्षरित एमओयू 28.07.2017 के क्रम में केन्द्र सरकार के वित्तीय सहयोग से प्रथमतः 19 जनपदों में 01-01 आपदा विशेषज्ञ को रु० 40,000/- के नियत मानदेय पर संविदा के आधार पर दिनांक 31 मार्च, 2018 तक की अवधि के लिये रखे गये थे। केन्द्र सरकार की उक्त परियोजना की समाप्ति के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा जनपदों में तैनात आपदा विशेषज्ञों का सेवा विस्तार 03 बार, वित्तीय वर्ष 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 के लिये किया गया।

2. शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त वर्तमान में प्रदेश के 13 जनपदों बस्ती, आजमगढ़, कुशीनगर, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया, गोण्डा, मुरादाबाद, बहराइच, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, चित्रकूट एवं लखनऊ के जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में संविदा के आधार पर कार्यरत आपदा विशेषज्ञों के अतिरिक्त अवशेष 62 जनपदों के जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में 01-01 आपदा विशेषज्ञ को रु० 50,000/- के नियत मानदेय पर निम्न वर्णित प्रक्रिया के अनुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया है:-

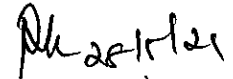
|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पदनाम               | आपदा विशेषज्ञ (संविदा पर नियत मानदेय रु० 50,000/- के आधार पर)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| विज्ञापन            | सर्वाधिक सर्कुलेशन वाले कम से कम 02 हिन्दी एवं 01 अंग्रेजी समाचार-पत्र में विज्ञापन प्रकाशित कराया जाय।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| नियुक्ति प्राधिकारी | नियुक्ति प्राधिकारी जिलाधिकारी होंगे, जो पदेन जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| चयन समिति:-         | जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित की जाय, जिसमें अध्यक्ष के अतिरिक्त 03 सदस्य- (i) अपर जिलाधिकारी (वि/रा), (ii) कोषाधिकारी (iii) जिलाधिकारी द्वारा नामित कृषि/सिंचाई विभाग के प्रथम श्रेणी अधिकारी सदस्य होंगे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नियुक्ति प्रक्रिया  | चयन समिति द्वारा अर्ह अभ्यर्थियों की 01 शार्ट लिस्ट तैयार की जायेगी। अर्ह अभ्यर्थियों की शार्ट लिस्टिंग हेतु अधिकतम 100 अंक में से निम्न प्रकार अंक प्रदान किये जायेगे:-<br><ul style="list-style-type: none"> <li>➤ हाई स्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा में प्रथम श्रेणी को 15 अंक, द्वितीय श्रेणी को 10 अंक तथा तृतीय श्रेणी को 08 अंक</li> <li>➤ इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा में प्रथम श्रेणी को 15 अंक, द्वितीय श्रेणी को 10 अंक तथा तृतीय श्रेणी को 08 अंक</li> <li>➤ स्नातक परीक्षा में प्रथम श्रेणी को 20 अंक, द्वितीय श्रेणी को 18 अंक तथा तृतीय श्रेणी को 15 अंक</li> <li>➤ आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट को 10 अंक तथा डिप्लोमा धारक को 08</li> </ul> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <p>अंक</p> <p>➤ आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में अपेक्षित अनिवार्य अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को 20 अंक दिये जायेंगे तथा यदि इस अनुभव में केन्द्र/राज्य के अन्तर्गत अथवा इनके साथ संचालित आपदा सम्बन्धी परियोजनाओं का अनुभव सम्मिलित है तो अभ्यर्थी को प्रत्येक वर्ष के लिये 01 अतिरिक्त अंक दिया जायेगा।</p> <p>➤ साक्षात्कार 20 अंक का होगा।</p>                                                                                                                                                                                                                                             |
| अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित अर्हता | मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक उपाधि अनिवार्य अर्हता है। स्नातक के साथ आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट अथवा डिप्लोमा धारक को वरीयता प्रदान की जायेगी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अनुभव                             | आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में कार्य करने का 03 वर्ष का अनुभव।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| आयु                               | 01 जुलाई, 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मानदेय                            | रु0 50,000/- प्रतिमाह।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तैनाती का आधार                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>आपदा विशेषज्ञों की तैनाती संविदा के आधार पर की जायेगी। जनपदों से प्राप्त संस्तुति के आधार पर आपदा विशेषज्ञों का सेवा विस्तार शासन द्वारा प्रतिवर्ष (अप्रैल-मार्च) किया जायेगा।</li> <li>तैनात किये गये आपदा विशेषज्ञों को बिना कारण बताये 01 माह का नोटिस देकर पद से कार्यमुक्त किया जा सकता है तथा आपदा विशेषज्ञ द्वारा भी 01 माह की नोटिस पर त्यागपत्र दिया जा सकता है।</li> <li>आपदा विशेषज्ञों का कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में जनपदों से प्राप्त संस्तुति के आधार पर शासन द्वारा आपदा विशेषज्ञ की संविदा समाप्त की जा सकेगी।</li> </ul> |

4. उक्त आपदा विशेषज्ञों के मानदेय पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-51 के अंतर्गत लेखा शीर्षक-“2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-07- जिला आपदा प्रबंध प्राधिकरण-00-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद” में उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

5. अतः कृपया उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपदा विशेषज्ञों को रखे जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये रखे गये आपदा विशेषज्ञों का विवरण शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में विज्ञापन एवं आवेदन पत्र का माडल प्रारूप भी संलग्न है।  
संलग्नक:- यथोक्त।

भवदीय,



( रेणुका कुमार )

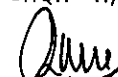
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-363(1)/एक-11-2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण।
3. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त कार्यालय।
4. वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, पिकप भवन, गोमती नगर लखनऊ।
5. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. निजी सचिव, राहत आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



( राम केवल )

विशेष सचिव।

## विज्ञापन का प्रारूप

विज्ञापन संख्या-1

दिनांक ...../2021

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

जनपद.....

जनपद.....के जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में आपदा प्रबन्धन कार्य हेतु निम्नलिखित पद पर संविदा के आधार पर रखे जाने हेतु योग्य, इच्छुक एवं अर्ह अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

| क्रम संख्या | पदनाम                            | पदों की संख्या | नियत मानदेय प्रतिमाह  |
|-------------|----------------------------------|----------------|-----------------------|
| 1           | आपदा विशेषज्ञ डिजास्टर प्रोफेशनल | 01             | रु० 50,000/- प्रतिमाह |

**अर्हता:-** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी विषय में स्नातक उपाधि अनिवार्य अर्हता है। स्नातक के साथ आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में पोस्ट ग्रेजुएट अथवा डिप्लोमा धारक को वरीयता प्रदान की जायेगी।

**अनुभव:-** आपदा प्रबन्धन के क्षेत्र में कार्य का 03 वर्ष का अनुभव।

**आयु:-** 01 जुलाई, 2021 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 45 वर्ष।

**आवेदन शुल्क:-** अभ्यर्थियों द्वारा किसी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं दिया जाना है। अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार हेतु आने जाने का खर्च स्वयं वहन किया जायेगा।

आवेदन पत्र भेजने का पता.....

आवेदन पत्र जमा करनेकी अंतिम तिथि .....

## आवेदन पत्र का प्रारूप

- 1- विज्ञापन संख्या.....
- 2- आवेदित पद का नाम.....
- 3- अभ्यर्थी का नाम.....
- 4- पिता/माता का नाम.....
- 5- राष्ट्रीयता.....
- 6- जन्म तिथि.....
- 7- स्थायी पता.....
- 8- पत्राचार हेतु पता .....
- 9- मो0 नं0.....
- 10- ई-मेल आईडी0.....
- 11- आधार नम्बर.....
- 12- योग्यता का विवरण .....

पासपोर्ट साइज  
नवीनतम फोटो  
अनिवार्य रूप से  
चस्पा करें।

| क्रम संख्या | शैक्षिक योग्यता | बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम | पूर्णांक | प्राप्तांक | प्रतिशत |
|-------------|-----------------|----------------------------|----------|------------|---------|
|             |                 |                            |          |            |         |

अनुभव का विवरण.....

| क्रम संख्या | अनुभव का विवरण |
|-------------|----------------|
|             |                |

### घोषणा:-

मैं श्री/श्रीमती/कु0 .....प्रमाणित करता/करती हू कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी में पूर्णतया सत्य है कोई भी जानकारी असत्य पाये जाने पर मेरे अभ्यर्थन को निरस्त करने का अधिकार सक्षम प्राधिकारी को होगा।

संलग्नकों का विवरण:-

दिनांक एवं स्थान:-

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर